श्री राम नाईक

संक्षिप्त परिचय

(1 जून 2011)

1.श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित मंत्री परिषद में 13 अक्टूबर 1999 से 13 मई 2004 तक श्री राम नाईक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री रहे. 1963 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के गठन के बाद सर्वाधिक काल के लिए पेट्रोलियम मंत्री बने रहने का श्रेय श्री नाईक को जाता हैं. इसके पूर्व 1998 की मंत्री परिषद में श्री नाईक ने रेल (स्वतंत्र प्रभार - 7 अगस्त 1999 से), गृह, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन और संसदीय कार्य मंत्रालयों में राज्यमंत्री (13 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999) के रुप में कामकाज संभाला था. एक साथ इतने महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभालना विशेष माना जाता हैं. इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद - विधायकों की कार्यक्षमता बढें और गुणवत्ता का संवर्धन हो इसलिए गठित 'सांसद - विधायक विकास प्रकोष्ठ' के वे राष्ट्रीय संयोजक है.

2.पेट्रोलियम मंत्री के रुप में श्री राम नाईक ने अक्टूबर 1999 में पदभार संभाला. उस समय 1 करोड़ 10 लाख ग्राहक घरेलू गैस की प्रतिक्षा-सूची में थे. यह घरेलू गैस की प्रतीक्षा-सूची समाप्त करने के साथ-साथ कुल 3 करोड 50 लाख नये गैस कनैक्शन श्री नाईक ने अपने कार्यकाल में जारी करवाए. उसके पूर्व 40 वर्षों में कुल 3.37 करोड गैस कनेक्शन दिए गए थे. इस पृष्ठभूमि पर श्री नाईक की कार्यक्षमता उभर कर सामने आती हैं, साथ साथ दुर्गम तथा पहाडी इलाकों की जरुरतों को व अल्प आय वाले लोगों को राहत देने के लिए 5 किलो के गैस सिलेंडर भी उनके कार्यकाल में ही जारी किए गए. उस समय 70 प्रतिशत कच्चा तेल (क्रूड ऑईल) आयात किया जाता था. कच्चे तेल के आयात की इस निर्भरता को कम करने के लिए उन्होंने विविध योजनाएं बनाकर उन्हें कार्यरुप देना शुरु किया. उन योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण निर्णय अर्थात इथेनॉल का पेट्रोल में 5 प्रतिशत मिश्रण करना तथा भविष्य में पूरे देश में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति करना है. कारगिल युध्द में शहीद वीरों की पत्नियों/निकटस्थ रिश्तेदारों को तेल कंपनियो के माध्यम से पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी की डीलरशिप देने की विशेष योजना भी उनके द्वारा ही मंजूर की गई. संसद भवन पर हुए हमले में शहीद कर्मचारीयों के परिवारजनों को भी पेट्रोल पंप आंबटित किए.

3.मुंबईवालों की नजर में 'रेल यात्रियों के मित्र' यह श्री राम नाईक की असली पहचान है. श्री.नाईक ने 1964 में 'गोरेगाव प्रवासी संघ' की स्थापना कर यात्रियों की समस्याओं को सुलझाने का कार्य प्रारंभ किया. बाद में रेल राज्यमंत्री के नाते विश्व के व्यस्ततम मुंबई उपनगरीय रेल के 65 लाख यात्रियों को उन्नत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 'मुंबई रेल विकास निगम' की स्थापना की. मुंबई के उपनगरी यात्रियों को राहत देने की दृष्टी से श्री राम नाईक ने अनेक विषयों की पहल की जैसे कि उपनगरी क्षेत्र का डहाणू तक विस्तार, 12 डिब्बों की गाड़ियां, संगणीकृत आरक्षण केन्द्र, बोरीवली - विरार चौहरीकरण, कुर्ला-कल्याण छः लाईनें, महिला विशेष गाडी आदी. संपूर्ण देश में रेल प्लैटफार्मों पर तथा यात्री गाडीयों में सिगरेट तथा बिडी बेचने पर पाबंदी लगाने का ऐतिहासिक काम श्री. नाईक द्वारा हुआ. यात्रियों से सुझाव लेकर नई गाडीयों का नामकरण करने की अनोखी लोकप्रिय पध्दति का प्रारंभ भी श्री राम नाईक ने ही किया. 2005, 2007 और 2011 में उपनगरी रेल यात्री परिषदों का गठन कराकर यात्रीयों की समस्याओं को उन्होंने उजागर किया तथा 11 जुलाई 2006 के लोकल गाडीयों में हुए बम्विस्फोट से पीडित परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास किए. 10 दिसंबर 2007 को विश्व मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में पश्चिम रेलवे के बोरीवली - विरार क्षेत्र में अतिभीड - भाड के समय पर, प्रति पांच मिनट विरार के लिए गाडी चलाने की मांग को लेकर अभूतपूर्व बहिष्कार आंदोलन किया जो सफल हुआ. इस आंदोलन का नेतृत्व भी श्री नाईक ने किया.

4.श्री राम नाईक ने महाराष्ट्र के उत्तर मुंबई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लगातार पांच बार जीतने का कीर्तिमान बनाया है. इसके पूर्व तीन बार वे महाराष्ट्र विधानसभा के बोरीवली से विधायक भी रहे हैं. तेरहवीं लोकसभा चुनाव में उन्हें 5,17,941 मत प्राप्त हुए जो कि महाराष्ट्र के सभी जीतने वाले सांसदों में सर्वाधिक थे. मुंबई में सफलतापूर्वक लगातार आठ बार चुनाव जीतने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले श्री नाईक पहले लोकप्रतिनिधी है. जनप्रतिनिधी की जवाबदेही की भूमिका में मतदाताओं को वें 2009 तक प्रतिवर्ष कार्यवृत्त प्रस्तुत करते रहे. चुनाव हारने के बाद भी कार्यवृत्त प्रस्तुत करनेवाले वे संभवतः एक मात्र पूर्व सांसद होंगे.

5.श्री राम नाईक संसद की गरिमामय लोक लेखा समिती के 1995 - 96 में अध्यक्ष थे. लोकसभा में वे भाजपा के मुख्य सचेतक भी रहे. संसदीय रेलवे समन्वय समिती, प्रतिभूति घोटाला के लिए संयुक्त जांच समिति, महिला सशक्तिकरण को बल प्रदान करने हेतु संसदीय समिती जैसी प्रमुख समितियों में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है. लोकसभा की कार्यवाही को सुचारु चलाने के लिए लोकसभा की सभापति तालिका के भी वे सदस्य रहे हैं.

6.श्री राम नाईक ने संसद में 'वंदे मातरम्' का गान प्रारंभ करवाया. उनके प्रयासों के फलस्वरुप ही अंग्रेजी में 'बॉम्बे' और हिंदी में 'बंबई' को उसके असली मराठी नाम 'मुंबई' में परिवर्तित करने में सफलता मिली. संसद सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि की संकल्पना श्री नाईक की ही है. इस राशि को रुपए 1 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से रुपए 2 करोड़ प्रतिवर्ष कराने का श्रेय भी श्री राम नाईक को ही जाता है. संसद सदस्य के नाते उन्होंने 'स्तनपान को प्रोत्साहन और शिशु खाद्य के विज्ञापनों पर रोक' का 'निजी विधेयक' प्रस्तुत किया. तदनुसार इस विधेयक को सरकार द्वारा स्वीकृति मिली और बाद में यह अधिनियम बना.

7.श्री नाईक का जन्म 16 अप्रैल 1934 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ. विद्यालयीन शिक्षा सांगली जिले के आटपाडी गांव में भवानी विद्याालय में सम्पन्न हुई. पुणे में बी.काम्. तथा मुंबई में एल्एल्.बी. की स्नातकोत्तर शिक्षा के बाद श्री नाईक ने अपना व्यावसायिक जीवन 'अकाउंटैंट जनरल' के कार्यालय में अपर श्रेणी लिपिक के नाते शुरु किया. बाद में उनकी उच्च पदों पर उन्नति हुई और 1969 तक निजी क्षेत्र में कंपनी सचिव तथा प्रबंध सलाहकार के नाते उन्होने कार्य किया. श्री. राम नाईक बचपन से राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के स्वंयसेवक है., संघ की द्वितीय वर्ष की शिक्षा प्राप्त श्री. नाईक पुणे में महाविद्यालयीन जीवन में वैदिकाश्रम शाखा के तथा बाद में मुंबई में आझाद मैदान और सिध्दार्थ नगर, गोरेगाव की शाखाओं के मुख्य शिक्षक भी रहे हैं.

8.राजनैतिक स्तर पर उन्होंने भारतीय जनसंघ के स्थानीय कार्यकर्ता के रुप में मुंबई का उपनगर गोरेगाव में कार्य शुरु किया. 1969 में भारतीय जनसंघ के मुंबई क्षेत्र के संगठन मंत्री के नाते कार्य करने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने लगातार आठ वर्षों तक संगठन का कार्य किया. वे भाजपा मुंबई विभाग के तीन बार अध्यक्ष भी रहे. इस समय वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं . साथ ही साथ भाजपा के 'सांसद - विधायक विकास प्रकोष्ठ' के राष्ट्रीय संयोजक भी है.

9. तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प 3 व 4 के कारण विस्थापित हुए पोफरण व अक्करपट्टी ग्रामवासियों के पुनर्वास के लिए श्री राम नाईक मुंबई उच्च न्यायालय में भी प्रकरण लड़ रहें है. अब इन विस्थापितों को न्याय मिल रहा है. इस संदर्भ में श्री नाईक ने 'गाथा संघर्षाची' मराठी तथा 'Saga of Struggle' अंग्रेजी किताबें भी लिखी है. कुष्ठपीडित रुग्णों का सामाजिक सशक्तीकरण हो तथा उन के परिवारों का यथोचित पुनर्वास हो इस उद्देश्य से उनकी अगवनी में 5 दिसंबर 2007 को राज्यसभा में याचिका प्रस्तुत की गई हैं. राज्यसभा की याचिका समिती ने अपनी रिपोर्ट 24 अक्तूबर 2008 को राज्यसभा को प्रस्तुत कीया है जिस पर 6 महीनों में भारत सरकार को क्रियान्वयन करना चाहिए था, किंतु वह काम अब तक नहीं हुआ है.

10.श्री राम नाईक को 1994 में केंसर जैसी दुर्धर बीमारी हुई परंतु श्री राम नाईक ने उस रोग को भी मात दी, तत्पश्चात् विगत 17 वर्षों में पहले जैसे वे उसी उत्साह और कार्यक्षमता से काम कर रहे हैं. श्री राम नाईक एक विशिष्ठ छवि वाले व्यक्ति है जो प्रत्येक कार्य में सूक्ष्मता और पारदर्शिता एवं जागरुकता के लिए जाने जाते हैं.

11.श्री. राम नाईक को 75 वर्ष पूर्ण हुए इसलिए भाजपा की वरिष्ठ नेता श्रीमती जयवंतीबेन महेता की अध्यक्षता में 'राम नाईक अमृत महोत्सव समिति' गठित हो कर सार्वजनिक सर्वदलीय अभिनंदन समारोह 28 मार्च 2010 को बोरीवली, मुंबई में संपन्न हुआ जिस में सर्वश्री लाल कृष्ण आडवाणी, नितीन गडकरी, उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, मधुकर पिचड, रामदास आठवले, गोपाळ शेट्टी तथा मुंबई की महापौर श्रीमती श्रद्धा जाधव द्वारा उनकी भूरि भूरि प्रशंसा में भाषण हुए. उसी समय 'कर्मयोद्धा - राम नाईक' यह गौरव ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ, जो वेबसाइट www.ramnaik.com पर उपलब्ध है.